राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 40(77)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेन्स पीडब्ल्यूडी/2014–15 जयपुर, दिनांक 18 MAY 2015

परिपत्र

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजना के सार्वजनिक निर्माण विभाग की पीएमजीएसवाई एवं अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) के दिशा निर्देश।

1. **प्रस्तावनाः–**

1.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एक निर्धारित आबादी के गांवों को जोड़ने के लिए सड़के तैयार की जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ऐसे गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नहीं लिए जा सके हैं। कई गांवों के मजरे टोले तथा खेत समूहों के लिए सड़के एवं मोबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सड़कों की आवश्यकता प्रतिपादित हुई है।

1.2 उपरोक्त परिवेश में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे समस्त ग्राम, मजरे टोले आदि जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बारहमासी सड़कों से नहीं जोड़े जा सके हैं, को जोड़े जाने के लिए या जहां मोबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सड़क सम्पर्क की आवश्यकता हो या खेतों के समूहो को मुख्य सड़क से जोड़े जाने के लिए ऐसा सड़क सम्पर्क उपलब्ध करवाया जाएं जो कि मुख्य रूप से ग्रेवल की सड़क हो। तकनीकी रूप से पीएमजीएसवाई एवं भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित आईआरसी एसपी 20–2002 के मापदण्डानुसार ही ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया जावे।

1.3 राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कोर नेटवर्क के अनुसार गांवों को जोड़ने का कार्य कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्र में 499 से 250 आबादी वाले एवं पहाड़ी, मरूस्थलीय व जनजातिय क्षेत्रों में 250 से कम आबादी वाले गांवों, ढ़ाणियों एवं मज़रों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य मद तथा केन्द्रीय मद (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, टीएफसी एवं सीआरएफ आदि) मद में सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य कराये जाते हैं।

1.4 इन कार्यों को महात्मा गांधी नरेगा से कन्वर्जेन्स करने की स्थिति में सम्पर्क सड़कों हेतु अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के नवीनतम संशोधित दिशा–निर्देश दिनांक 21.07.2014 के अनुसार ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त अन्य कार्यकारी संस्थाओं/विभागों द्वारा उनके द्वारा कराये जा रहे कार्यों के लिए निर्धारित श्रम सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण जिला स्तर पर किया जा सकेगा, जिससे महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद की राशि का उपयोग भी टिकाऊ एवं स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु किया जा सकेगा। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची–1 (यथा संशोधित) के बिन्दु संख्या 4(1) के भाग–IV, प्रवर्ग–ईः ग्रामीण अवसंरचना में वर्णित कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाये जा सकते हैं। विशेषतः प्रवर्ग के बिन्दु (ii) के अनुसार असम्बद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सड़क नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों को जोड़ने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध कराना (बारहमासी सड़कों से जोडना) और ग्राम में पक्की आन्तरिक सड़कें या गलियां, जिनके अन्तर्गत पार्श्विक नालियां और पुलियां भी है, का संनिर्माण का कार्य कराये जाने का प्रावधान है।

1.5 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों में से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जा सकने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

2. **महात्मा गांधी नरेगा एवं पीएमजीएसवाई में कन्वर्जेन्सः–** भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 09 फरवरी, 2009 एवं 07 नवम्बर, 2013 से जारी गाईड लाईन एवं दिशा–निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा एवं पीएमजीएसवाई के बीच तीन स्तर पर कन्वर्जेन्स किया जा सकता हैः–

2.1 **प्री–पीएमजीएसवाई कार्यः–**

2.1.1 पीएमजीएसवाई कार्यों में सहयोग (Support) के लिए। पीएमजीएसवाई में स्वीकृति जारी किये जाने से एक या दो वर्ष पूर्व सड़क के अलाईनमैंट में मिट्टी का कार्य, उसके कम्पेक्सन/कन्सोलिडेसन का कार्य पीएमजीएसवाई के मापदण्डों के अनुसार किये जायेंगे। यह अपक्षय प्रभाव (weathering effect) के कारण आगे कम्पेक्शन/कन्सोलिडेसन में भी मदद करेगा।

2.1.2 सड़क का कार्य एक विशेष प्रकृति का कार्य है, जिसमें मशीन एवं टैस्टिंग इन्सट्रूमेन्ट्स का प्रयोग किया जाना होता है। अतः इन सड़कों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्य करने के लिए कार्यकारी संस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग होगी। जिलेवार प्रोजेक्ट (as per DRRP & Core Network) सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड/उपखण्ड कार्यालय द्वारा तैयार कर कार्यक्रम अधिकारी (महात्मा गांधी नरेगा) से सहभाजीत (shared) किया जायेगा, जो उसे ग्राम सभा में अनुमोदन पश्चात् कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करेगा।

2.1.3 पैरा 2.1.1 में वर्णित कार्यों के महात्मा गांधी नरेगा योजना में पूर्ण होने के एक या दो वर्ष पश्चात् इन सड़कों का कार्य पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत कराया जायेगा। कार्यों की डिजाईन, तकमीने एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वांछित सर्वे के पश्चात् सम्बन्धित पीएमजीएसवाई खण्ड के द्वारा पोस्ट फॉर्मेशन स्तर का कार्य पीएमजीएसवाई योजनान्तर्गत कराया जायेगा।

2.2 **पोस्ट–पीएमजीएसवाई कार्यः–** पीएमजीएसवाई कार्यों में टिकाऊपन एवं मूल्य संवर्धन (For durability & value-addition) कार्यः–

2.2.1 **महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पीएमजीएसवाई सड़कों के स्थायित्व के लिए मरम्मत कार्यः–** पीएमजीएसवाई कार्यों में संवेदक के 5 वर्ष के डिफेक्ट लाइबलीटी पीरियड की समाप्ति पर मरम्मत के कार्य प्रोजेक्ट मोड़ में महात्मा गांधी नरेगा योजना से कराये जायेंगे। इन कार्यों के विस्तृत तकमीने सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा तैयार किये जायेंगे। ग्राम पंचायतवार प्रोजेक्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड/उपखण्ड कार्यालय द्वारा तैयार कर ग्राम सभा में अनुमोदन एवं कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु कार्यक्रम अधिकारी. (महात्मा गांधी नरेगा) से सहभाजीत (shared) किया जायेगा।

2.2.2 **महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पीएमजीएसवाई सड़कों के मूल्य संवर्धन का कार्यः–**

2.2.2.1 सड़क किनारे वृक्षारोपणः– इसी प्रकार PMGSY सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य मुजफ्फरपुर मॉडल के पैटर्न पर महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स कर करवाया जायेगा।

2.2.2.2 पुलिया के आउटलेट पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर्स का निर्माण करवाया जायेगा।

2.3 **महात्मा गांधी नरेगा फार्मनेट सड़कः–** क्षेत्र में पीएमजीएसवाई सड़कों की कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी सहयोग से निवर्तमान/प्रस्तावित पीएमजीएसवाई सड़कों से अनाज उत्पादन केन्द्रों को जाने वाले सभी कच्चे रास्तों को चिन्हित एवं डिजिटाईज्ड़ कर कार्यक्रम अधिकारी (महात्मा गांधी नरेगा) के द्वारा सा.नि.वि. के अभियंताओं से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर फ्रिज किया जायेगा। भविष्य में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के कार्य इन्हीं कार्यों में से लिए जायेंगे। ये सभी सड़के ग्रेवल या मैटल स्तर तक निर्माण की जायेंगी।

3. महात्मा गांधी नरेगा से सा0नि0वि0 की योजनाओं के कन्वर्जेन्स हेतु सामान्य दिशा–निर्देश :

3.1 सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्धारित कोर नेटवर्क के अनुसार विद्यित सम्पर्क सड़क, खेत सड़क, आन्तरिक सड़कें मय नाली एवं पुलिया निर्माण के कार्य श्रम एवं सामग्री मद का अनुपात 60:40 रखते हुए महात्मा गांधी नरेगा मद से व्यय किया जावें।

3.2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दायरे से बाहर रहे अर्थात् सामान्य क्षेत्र में 499 से 250 आबादी वाले एवं पहाड़ी, जनजातिय व मरूस्थलीय क्षेत्रों में 250 से कम आबादी वाले गांवों, ढ़ाणियों एवं मज़रों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने का कार्य महात्मा गांधी नरेगा मद से किया जावें।

3.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कन्वर्जेन्स हेतु पीएमजीएसवाई में प्रस्तावित सड़क का प्रारम्भिक कार्य (ग्रेवल स्तर तक) का निर्माण कार्य महात्मा गांधी नरेगा मद से निर्धारित मापदण्डानुसार सार्वजनिक

निर्माण विभाग अथवा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डामर स्वीकृति के 1 से 2 वर्ष पूर्व किया जावे।

3.4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांवों, ढ़ाणियों एवं मजरों को मार्केट सेन्टर से जोड़ने के लिए केवल सिंगल रोड़ कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रावधान है। **गांवों, ढ़ाणियों एवं मजरों को मार्केट सेन्टर से जोड़ने के लिए एक से अधिक रूट अनुमत नहीं है, चाहे वो कम दूरी एवं अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक ही क्यों न हो, ऐसे सभी रूट में महात्मा गांधी नरेगा योजना से ग्रेवल/डब्ल्यूबीएम स्तर तक सड़क निर्माण कार्य कराया जा सकता है।**

3.5 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांवों, ढ़ाणियों एवं मजरों को सड़कों से जोड़ने के लिए बसावट तक एवं बसावट से आगे 50 मीटर के दायरे तक ही सड़क निर्माण किया जाना अनुमत है। गांवों, ढ़ाणियों, मजरों की सड़क से छूटे आन्तरिक भागों तक एवं अन्य आन्तरिक गलियों में सड़क (सीमेन्ट कंक्रीट/इन्टरलोकिंग कंक्रीट ब्लॉक्स/अन्य स्थानीय पेविंग मैटेरियल) मय नाली का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना में अनुमत होने से किया जा सकता है।

3.6 अन्य योजना से कन्वर्जेन्स हेतु सम्बन्धित राज्य मद में प्रस्तावित सड़क का प्रारम्भिक कार्य (ग्रेवल/डब्ल्यूबीएम स्तर तक) का निर्माण कार्य महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधान अनुसार किया जाकर, श्रम एवं सामग्री का 60:40 अनुपात सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।

3.7 ग्रेवल/डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण के पश्चात् उन सड़कों पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मद/विभागीय मद से डामरीकरण करने अथवा सीमेन्ट कंक्रीट सड़क निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जावे।

3.8 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राज्य मद में वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं आगामी वित्तीय वर्षों में जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायतवार महात्मा गांधी नरेगा से कन्वर्जेन्स कर प्रस्तावित कार्यों का विवरण एवं वित्तीय प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा तथा सम्बन्धित जिलों के जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को उपलब्ध कराया जावे, जिससे उन्हें वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जा सके।

3.9 पीएमजीएसवाई में निर्मित सड़क, जिनकी संवेदक द्वारा रखरखाव की 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई है, ऐसी सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य महात्मा गांधी नरेगा के साथ कन्वर्जेन्स कर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जावें तथा इस हेतु ऐसी समस्त सड़कों की जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायतवार सूचना मय वित्तीय प्रावधान राज्य स्तर पर आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा तथा सम्बन्धित जिलों के जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को उपलब्ध कराया जावे, जिससे उन्हें वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जा सके।

3.10 **सड़कों के किनारे वृक्षारोपणः–**

3.11.1 पीएमजीएसवाई के तहत अन्य जिला सड़कें (ODRs) एवं ग्रामीण सड़कें (VRs) जिनके कैरिजवे की चौड़ाई सामान्यतः 3 मीटर, 3.75 मीटर या 5.50 मीटर होती है, का निर्माण किया जाता है। वृक्षारोपण का कार्य भविष्य में प्रस्तावित चौड़ाईकरण को देखते हुए सड़क के राईट ऑफ–वे के अन्तिम छोरों या सड़क एम्बेकमेन्ट के स्लोप के टो (at toe of the slope of road Embankment) पर किया जावें।

3.11.2 वृक्षारोपण कार्य में फलदार या दीर्घायु प्रकृति के छायादार पौधों का स्थानीय जलवायु को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाये।

3.11.3 तकनीकी जानकारी जैसे पौधों के बीच की दूरी, पौधों की प्रजातियां, पौधारोपण का उपयुक्त समय एवं अन्य आवश्यक जानकारियां, कृषि या वन विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर प्राप्त की जावे।

3.11.4 स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी पौधारोपण में सुनिश्चित की जावे।

3.11.5 वृक्षारोपण में शुरूआती खर्च एवं इसके रखरखाव का व्यय महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स मॉडल पर किया जावेगा।

3.11.6 उक्त कार्य की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत, सा0नि0वि0 अथवा वन विभाग हो सकते हैं। सा0नि0वि0 के कार्यकारी संस्था नहीं होने पर उनके अधिकारी तकनीकी जानकारी जैसे सड़कों

की सूची एवं लम्बाई जहां पौधारोपण किया जाना है, आदि कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत अथवा वन विभाग को देंगे।

3.11.7 वृक्षारोपण कार्य पूर्ण होने पर उनका स्वामित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत का होगा। इस क्रम में सुचारू क्रियान्वयन एवं स्वामित्व हेतु मुज्जफरपुर मॉडल को लागू करने की सम्भावना तलाशी जावें। मुज्जफरपुर मॉडल भारत सरकार की महात्मा गांधी नरेगा वैबसाईट (www.nrega.nic.in) पर उपलब्ध है।

3.11.8 कार्यों की मॉनीटरिंग एसक्यूएम/एनक्यूएम पद्धति पर की जावेगी। इसके अतिरिक्त सड़क किनारे स्थित भूस्वामी एवं अन्य स्थानीय निवासी को भी वृक्षारोपण की अच्छे ढंग से निगरानी व अपनापन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

3.12 जिन सड़कों में पुलिया व क्रोस ड्रेनेज वर्क्स नहीं होने से गांव, ढ़ाणी, मजरों को बारहमासी सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होने पर उन सड़कों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आवश्यक पुलिया व क्रोस ड्रेनेज वर्क्स का कार्य किया जा सकता है।

3.13 पीएमजीएसवाई सड़कों पर बनाई गई पुलिया के आउटलेट पर जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, वाटरहार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण कराया जावे, जिससे वर्षा जल को एकत्रित कर वृक्षारोपण, सिंचाई, भू जल पुनर्भरण हेतु उपयोगी हो सकें।

3.14 राज्य स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा एवं पीएमजीएसवाई में भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार कन्वर्जेन्स के कार्यों की कार्य योजना तैयार करने हेतु महात्मा गांधी नरेगा एवं सार्व. नि. विभाग के अभियंताओं की एक तकनीकी कमेटी गठित की जावेगी, जो कन्वर्जेन्स कार्यों के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन आदि प्रदान करेगी।

4. कन्वर्जेन्स प्रक्रिया के तहत वित्त पोषण एवं कार्यों का क्रियान्वयनः–

4.1 **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की पीएमजीएसवाई या अन्य योजनाओं तथा अन्य विभागों की योजनाओं से वित्त पोषित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार दर्शाया जावेः–**

4.1.1 **भाग 'अ':– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से वित्त पोषित कार्यः–** भाग–'अ' में श्रम प्रधान गतिविधियां ली जाकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत योजनांतर्गत अनुमत समस्त कार्य लिये जा सकेंगें, जिसमें कार्य अकुशल श्रम व सामग्री का 60:40 अनुपात संधारित करते हुये कराये जावें। महात्मा गांधी नरेगा से वित्त पोषित कार्य महात्मा गांधी नरेगा की कार्य प्रणाली एवं दिशा–निर्देशानुसार सम्पादित किये जायेंगे। उदाहरणार्थ सड़क निर्माण कार्य में ग्रेवल स्तर तक का सड़क निर्माण कार्य।

4.1.2 **भाग 'ब':– सार्वजनिक निर्माण विभाग की पीएमजीएसवाई या अन्य योजनाओं से वित्त पोषित कार्यः–** उक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित केन्द्रीय सरकार की योजनाओं जैसे पीएमजीएसवाई, टीएफसी (XIII-FC) एवं सीआरएफ (Central Road Funds) एवं राज्य सरकार की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री सड़क योजना, विश्व बैंक से वित्त पोषित आरआरएसएमपी (Rajasthan Road Sector Modernization Project), स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट (SHW), एसएम एण्ड आर (Strengthening, Modernization & Renewal), आरआईडीएफ (RIDF), एमएनपी आदि से वित्त पोषित किये जायेंगे। यदि भाग–'अ' में वर्णित कार्य की गतिविधियों में सामग्री राशि (अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक व्यय सहित) निर्धारित श्रम सामग्री अनुपात 60:40 से अधिक हो तो अतिरिक्त सामग्री राशि भाग–'ब' में वर्णित अन्य योजनाओं से वित्त पोषित की जायेगी। इसके अलावा निर्माण कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अनुमत नहीं हैं, कराये जाने की आवश्यकता हो तो उक्त कार्यों का भी भाग–'ब' में समावेश करते हुए योजना का प्रस्ताव तैयार किया जावे। बिन्दु संख्या 4.1.1 (भाग–'अ') में वर्णित महात्मा गांधी नरेगा मद से भारित अधूरे कार्य कराये जाने की आवश्कयता हो तो उक्त कार्यों का भी भाग–'ब' में समावेश करते हुए योजना का प्रस्ताव तैयार किया जावे। उक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनाओं से वित्त पोषित किये जायेंगे। इस हेतु सानिवि की राज्य योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पृथक से प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा। उक्त भाग का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रचलित बी.एस.आर. नॉर्म्स, प्रचलित पद्धतियों, प्रणालियों व प्रक्रियानुसार ठेका पद्धति सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा सकेगा। उक्त भाग के कार्यों का भुगतान भी

सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित प्रणालियों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

4.1.3 भाग–'ब' में वर्णित कार्य महात्मा गांधी नरेगा की कार्यविधि एवं दिशा–निर्देशानुसार अथवा सम्बन्धित विभाग/योजना जिससे वित्त पोषित किये जा रहे हैं, की कार्य प्रणाली एवं दिशा–निर्देशानुसार ठेके पर किये जा सकेंगे।

4.1.4 **भाग 'स':– अन्य विभागों की योजनाओं से वित्त पोषित कार्यः–** जो कार्य/गतिविधियाँ महात्मा गांधी नरेगा योजना अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनाओं से वित्त पोषित नहीं की जाकर यदि किसी अन्य विभाग की योजनाओं से वित्त पोषित किये जाते है तो उसका विवरण भाग–'स' में दर्शाया जायेगा। उदाहरणार्थ– सड़क किनारे वृक्षारोपण में पौध वन विभाग या उद्यान विभाग से लेने पर वह सम्बन्धित विभाग की योजना से वित्त पोषित माना जायेगा। इसी प्रकार जन सहभागिता एवं अन्य विभागों की योजनाओं से प्राप्त डिपोजिट राशि से कार्य इस भाग में लिए जायेंगे।

4.2 <u>परियोजना क्रियान्वयन संस्था (पीआईए):–</u>

4.2.1 **भाग–'अ':–** महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्त पोषित कार्यों के लिए ग्रामीण सम्पर्क सड़क (पीएमजीएसवाई) एवं मिसिंग लिंक सड़क निर्माण हेतु परियोजना क्रियान्वयन संस्था **सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगी। वृक्षारोपण कार्य हेतु परियोजना क्रियान्वयन संस्था वन विभाग अथवा ग्राम पंचायत** रहेगी। वृक्षारोपण कार्य हेतु वन विभाग के क्रियान्वयन संस्था नहीं होने पर तकनीकी मार्गदर्शन व ब्रोड सुपरविजन का कार्य वन विभाग द्वारा ही किया जावेगा। ग्रेवल स्तर तक अनाज उत्पादन केन्द्र/खेत सड़क/फार्म नेट सड़क के कार्य के लिए क्रियान्व्यन संस्था **ग्राम पंचायत** रहेगी तथा तकनीकी मार्गदर्शन व ब्रोड सुपरविजन का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

4.2.2 **भाग–'ब':–** सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनाओं से वित्त पोषित कार्यों के लिए परियोजना क्रियान्वयन संस्था **सार्वजनिक निर्माण विभाग** रहेगी तथा सम्पूर्ण सुपरविजन का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाएगा।

4.2.3 **भाग–'स'** अन्य योजनाओं से वित्त पोषित कार्यों के लिए उन योजनाओं से सम्बन्धित **विभागीय क्रियान्वयन संस्था अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग** द्वारा उन योजनाओं/विभागों के दिशा–निर्देशानुसार किया जायेगा। उदाहरणार्थ वन विभाग के मद से वित्तपोषित वृक्षारोपण कार्य हेतु क्रियान्वयन संस्था वन विभाग रहेगा।

4.2.4 यहां यह ध्यान रखा जावे कि जिस योजना/विभाग से कार्य वित्त पोषित हैं, उनके क्रियान्वयन, मूल्यांकन, भुगतान आदि के लिए उसी योजना/विभाग की मार्गदर्शिका लागू होगी ।

4.2.5 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये जा रहे विभिन्न वित्त पोषित कार्यों के लिए परियोजना क्रियान्वयन संस्था का कार्यवार विवरण बिन्दु संख्या 6 में तालिका में दर्शाया गया है।

4.3 **निर्धारित श्रम सामग्री अनुपात 60:40 का संधारणः–** कार्य की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत होने पर ग्राम पंचायत द्वारा कराये जा रहे समस्त कार्यों के लिए सामग्री भाग मय कुशल एवं अकुशल श्रमिक मजदूरी ग्राम पंचायत स्तर पर 40% से अधिक नहीं होगा। ग्राम पंचायत के अलावा अन्य कार्यकारी संस्थाओं/लाईन विभागों के कार्यकारी संस्था होने पर इनके द्वारा कराये जा रहे कार्यों के लिए सकल सामग्री भाग मय कुशल एवं अकुशल श्रमिक मजदूरी जिला स्तर पर 40% से अधिक नहीं होगा।

4.4 **प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति जारी करनाः–** अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति महात्मा गांधी नरेगा योजना की तकनीकी मार्गदर्शिका अनुसार परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी (PIA) के सक्षम तकनीकी अधिकारियों द्वारा जारी की जावेगी, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ घन विभाग द्वारा वहन की जाने वाली राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित जिले के जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस द्वारा जारी की जावेगी।

5. **कन्वर्जेन्स की कार्य पद्धतिः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का पीएमजीएसवाई या सा0नि0 विभाग की अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स कर कार्य कराये जाने के लिए निम्न पद्धति अपनाई जायेगीः–**

5.1 **कॉमन तकमीना (Common Estimate):–** इस पद्धति में सम्पूर्ण कार्य का एक एकजाई तकमीना बनाया जाकर उसके प्रत्येक आईटम में अकुशल श्रमिक भाग की पूरी राशि (श्रम राशि) एवं श्रम व सामग्री अनुपात 60:40 रखते हुए उक्त श्रम राशि के समानुपातिक सामग्री राशि का भुगतान महात्मा गांधी नरेगा फण्ड से एवं शेष सामग्री राशि का भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं अथवा अन्य स्टेट फण्ड से किया जावे। यहां यह ध्यान रखा जावे कि सम्पूर्ण कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना में अनुमत है तथा कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना की कार्य प्रणाली एवं दिशा–निर्देशानुसार ही सम्पादित कराया जावे।

5.2 **संयुक्त तकमीना (Composite Estimate):–** सम्पूर्ण कार्य का एक ही संयुक्त तकमीना बनाया जाकर दोनों योजनाओं में वित्त पोषित किये जाने वाले कार्य **भाग–'अ' एवं भाग–'ब' में स्पष्टतः उल्लेखित कर साथ–साथ ही कराया जाकर सम्बन्धित योजनाओं पर वित्त पोषित किये जायेंगे।** भाग–'अ' में श्रम प्रधान गतिविधियां ली जाकर कार्य महात्मा गांधी नरेगा की कार्य प्रणाली एवं दिशा–निर्देशानुसार किया जावेगा तथा भाग–'ब' में सामग्री प्रधान गतिविधियां लेकर कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली व निर्देशों के तहत **ठेका पद्धति** से कराया जा सकेगा एवं विभागीय योजनाओं जैसे–पीएमजीएसवाई या अन्य राज्य मद से वित्त पोषित किया जायेगा। नरेगा सॉफ्ट में भाग–'अ' में हुए व्यय को महात्मा गांधी नरेगा योजना में एवं कन्वर्जेन्स के तहत भाग–'ब' में हुए व्यय को सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनाओं पर भारित किया जायेगा। इस प्रकार के कार्य में कार्यकारी संस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग ही रहेगी।

5.3 **अलग–अलग तकमीना (Separate Estimate):–** सम्पूर्ण कार्य को एक साथ न कर दो चरणों (Phases) में अलग–अलग समय पर किया जाता है। दोनों चरणों के कार्यों के क्रियान्वयन में 1 से 2 वर्ष या अधिक अन्तर भी हो सकता है। सामान्यतः इस प्रकार कराये जाने वाले कार्य के तकमीने भी अलग–2 बनाये जाकर कार्य अलग–2 एजेन्सियों के द्वारा अलग–2 समय पर किया जा सकता है। प्रथम चरण में (भाग–'अ' में वर्णित) श्रम प्रधान कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना से योजना की कार्यप्रणाली एवं दिशा–निर्देशानुसार सम्पादित किये जायेंगे। उदाहरणार्थ– पीएमजीएसवाई में आगामी 1 से 2 वर्ष में स्वीकृत होने वाली गांवों, ढ़ाणियों एवं मजरों को जोड़ने वाली डामर की सड़कों के अलाईनमेन्ट में महात्मा गांधी नरेगा योजना से ग्रेवल स्तर तक सड़क कार्य पीएमजीएसवाई के मापदण्डों के अनुसार किया जाना। उक्त कार्यों की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगी। कार्य पर व्यय नरेगा सॉफ्ट में कार्य के यूनिक कोड के साथ इन्द्राज किया जायेगा। प्रथम चरण के कार्य समाप्ति के पश्चात् (1 से 2 वर्ष या अधिक) द्वितीय चरण में (भाग–'ब' में वर्णित) सामग्री प्रधान डामरीकरण का कार्य पीएमजीएसवाई में स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त वर्णित अलाईनमेन्ट में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पीएमजीएसवाई एवं विभागीय प्रक्रियानुसार ठेके प्रथा से किया जायेगा। कन्वर्जेन्स के तहत व्यय दर्ज करने के लिए पूर्व में निर्मित ग्रेवल सड़क के यूनिक कोड नम्बर का इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट में किया जायेगा, जिससे पूर्व में हुए महात्मा गांधी नरेगा मद का व्यय एवं अन्य जानकारी नरेगा सॉफ्ट में स्वतः ही प्रकट हो जायेगी। पीएमजीएसवाई के तहत होने वाले व्यय का वास्तविक विवरण लाईन विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) की योजनाओं के तहत वांछित स्थान पर किया जायेगा।

6. महात्मा गांधी नरेगा मद एवं पीएमजीएसवाई या अन्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनाओं से कन्वर्जेन्स कर वित्त पोषित किये जा सकने वाले कार्य/गतिविधियाँ एवं कार्यकारी संस्था उपरोक्त बिन्दु 4 एवं 5 के क्रम में निम्न तालिका में सुलभ सन्दर्भ हेतु दर्शाये जा रहे हैं।

क्र. सं.	गतिविधि	महात्मा गांधी नरेगा मद से कराये जाने वाले कार्य (भाग–'अ')	सा0 नि0 वि0 की PMGSY या अन्य विभागीय मद से कराये जाने वाले कार्य (भाग–'ब')	कार्यकारी संस्था
1.	1. ग्रेवल स्तर तक मजरे, ढाणियों एवं गांवों को जोड़ने के लिए PMGSY के मापदण्डों के अनुसार ग्रामीण सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य। (Pre-PMGSY कार्य) 2. मिसिंग लिंक सड़क निर्माण।	सम्पर्क सड़क/मिसिंग लिंक सड़क में मिट्टी खुदाई, बिछाने, समतल करने, मिट्टी की कुटाई, ग्रेवल बिछाने एवं रोलर से कुटाई करने के कार्य श्रम सामग्री अनुपात 60:40 निर्धारित रखते हुए।	सड़क निर्माण में सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अतिरिक्त व्यय राशि विभागीय मद से भारित की जावे। (यदि कोई हो)	सा0 निर्माण विभाग

2.	ग्रेवल स्तर तक अनाज उत्पादन केन्द्र/खेत सड़क निर्माण। (Farm net Road for Farm Production Points)	फार्मनेट सड़क/खेत सड़क में मिट्टी खुदाई, बिछाने, समतल करने, मिट्टी की कुटाई, ग्रेवल बिछाने एवं रोलर से कुटाई करने के कार्य श्रम सामग्री अनुपात 60:40 निर्धारित रखत	सड़क निर्माण में सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अतिरिक्त व्यय राशि विभागीय मद से भारित की जावे। (यदि कोई हो)	1. ग्राम पंचायत 2. सा0 निर्माण विभाग (खेत सड़क) के लिए सांनिवि द्वारा कोर नेटवर्क के अनुसार निवर्तमान/प्रस्तावित PMGSY सड़को से खेतों को जोड़ने वाले रास्ते चिन्हित करने में तकनीकी सहयोग।
3.	डब्ल्यूबीएम स्तर तक सड़क निर्माण।	सम्पर्क सड़क में मिट्टी, ग्रेवल बिछाने, रोलर से कुटाई करने, गिट्टी बिछाने तथा रोलर से कुटाई करने के कार्य श्रम सामग्री अनुपात 60:40 निर्धारित रखते हुए।	डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण में सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अतिरिक्त व्यय राशि विभागीय मद से भारित की जावे।	सार्वजनिक निर्माण विभाग
4.	सम्पर्क सड़कों/ खेत सड़कों पर डामरीकरण का कार्य।	–	ग्रेवल/मैटल स्तर तक निर्मित सड़कों पर डामरीकरण का कार्य विभागीय मद से।	सार्वजनिक निर्माण विभाग
5.	बारहमासी सड़कों में क्रोस ड्रेनेज /वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य।	समस्त अकुशल श्रम व्यय एवं अधिकतम 40 प्रतिशत सामग्री का व्यय महात्मा गांधी नरेगा से	40 प्रतिशत से अधिक सामग्री मद में प्रस्तावित व्यय विभागीय मद से।	सार्वजनिक निर्माण विभाग
6.	आन्तरिक सड़कें मय नाली निर्माण (गौरव पथ)।	महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानानुसार समस्त अकुशल श्रम व्यय एवं आनुपातिक 40 प्रतिशत व्यय सामग्री पर महात्मा गांधी नरेगा मद से किया जा सकेगा।	40 प्रतिशत से अधिक सामग्री का व्यय अन्य योजना अथवा विभागीय मद से।	1. ग्रावि एवं परा विभाग की योजनाओं से सामग्री मद की अतिरिक्त राशि वहन करने की स्थिति में पंचायती राज संस्थाऐं। 2. विभागीय मद से अतिरिक्त राशि वहन करने की स्थिति में सा0नि0 विभाग।
7.	सम्पर्क सड़कों पर वृक्षारोपण एवं उनका 5 वर्ष तक रखरखाव कार्य।	पेड़ों के लिए खड्डे खुदाई, रिंगपिट, पानी देने का कार्य आदि महात्मा गांधी नरेगा के निर्धारित श्रम सामग्री अनुपात (60:40) रखते हुए।	40 प्रतिशत से अधिक सामग्री का व्यय, खाद, कीटनाशक अन्य योजना अथवा सम्बन्धित विभागीय मद से।	1. ग्राम पंचायत 2. वन विभाग (सा0नि0वि0 वृक्षारोपण हेतु सड़कों को चिन्हित कर, सूची व लम्बाई उपलब्ध करायेगा)।
8.	पीएमजीएसवाई सड़कों में संवेदक के 5 वर्ष के रखरखाव अवधि (DLP) की समाप्ति पर मरम्मत एवं रखरखाव कार्य।	जंगल सफाई, बर्म्स में मिट्टी एवं ग्रेवल का कार्य, पोट होल्स में डब्ल्यूबीएम पैचिंग का कार्य आदि कार्य महात्मा गांधी नरेगा के निर्धारित श्रम सामग्री अनुपात (60:40) रखते हुए।	डामर के पैच के लिए प्रिमिक्स मैटेरियल की आपूर्ति एवं 40 प्रतिशत से अतिरिक्त सामग्री का व्यय विभागीय मद से।	सार्वजनिक निर्माण विभाग
9.	आपदा एवं बाढ़ राहत कार्य जिसमें आपदा तैयारी में सुधार करना या सड़कों का जीर्णोद्धार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना, बाढ जलमार्गों की मरम्मत करना।	आपदा एवं बाढ़ प्रभावित सड़कों की मरम्मत, सम्भावित आपदा एवं बाढ़ से बचाव के लिए पूर्व तैयारी, आवश्यक सामग्री जैसे मिट्टी से भरे हुए बैग, पत्थर, बैलास्ट, गिट्टी, बजरी एवं सीमेन्ट आदि की आपूर्ति का कार्य निर्धारित श्रम सामग्री अनुपात (60:40) रखते हुए।	40 प्रतिशत से अधिक सामग्री का व्यय विभागीय मद से।	सार्वजनिक निर्माण विभाग
10.	परिशिष्ट–'अ' में दर्शाये नुसार अन्य ग्रामीण अवसंरचना के कार्य।			सानि. विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है। (Technical Convergence)

7. **कार्यों के कियान्वयन में महात्मा गांधी नरेगा की अपरक्राम्य प्रकिया का अनुपालनः–** बिन्दु संख्या 4.1.1 (भाग–'अ') में दर्शाये गये कार्यो में महात्मा गाधी नरेगा की राशि का उपयोग होना है, अतः इसमें योजना की प्रक्रिया का अनुपालन महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार किया जावेगा।

7.1 इसके निर्माण में अकुशल श्रम का कार्य, योजनान्तर्गत जॉबकार्डधारी परिवारों से ई–मस्टररोल पर कराया जाएगा। अकुशल एवं कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों हेतु जारी किये गए ई–मस्टररोल नरेगा सॉफ्ट पर संधारित किये जावेंगे तथा कार्य के दौरान उपस्थिति हेतु स्थल पर ही रखे जावेगे।

7.2 कार्य पर ठेका पद्वति प्रतिबंधित रहेगी।

7.3 जहां तक कार्य मानव श्रम से सम्भव हो वह श्रमिकों से करवाया जावें अर्थात् मानव श्रम के बदले श्रमिक विस्थापित मशीनों (Labour Displacing Machines) का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।

7.4 सामग्री का क्रय पंचायत में लागू नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर किया जावेगा।

7.5 ईएफएमएस के माध्यम से मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में किया जावेगा।

7.6 रोजगार सृजन का पूर्ण रिकार्ड रखा जावेगा।

7.7 कार्यों के कियान्वयन में कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत रहने पर महात्मा गांधी नरेगा मद से किया जाने वाला व्यय निर्धारित श्रम सामग्री अनुपात 60:40 में ग्राम पंचायत स्तर पर एवं कार्यकारी संस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग रहने पर जिला स्तर पर संधारित किया जाना होगा।

7.8 कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा।

8. **क्रियान्वयन प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य बातें :–**

8.1 कन्वर्जेन्स से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों की सूची सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्बन्धित जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर को उपलब्ध कराई जावेगी।

8.2 जिला कार्यक्रम समन्वयक प्राप्त सूची अनुसार कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में शामिल करेंगे तथा सक्षम स्वीकृति जारी करेंगे।

8.3 स्वीकृत कार्यों पर कार्य सम्पादन हेतु अकुशल श्रमिक सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कार्यकारी संस्था को उपलब्ध कराये जायेंगे। सड़क निर्माण का कार्य एक से अधिक ग्राम पंचायत में होने की स्थिति में ग्राम पंचायत परिधि के अनुसार अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराये जायेंगे।

8.4 मेट का निर्धारण कार्यकारी संस्था/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं श्रम नियोजन हेतु सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को ई–मस्टर रोल जारी की जावेगी।

8.5 कार्य का मापन, मूल्यांकन, प्रमाणीकरण, टास्क निर्धारण एवं उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य सम्बन्धित कार्यकारी संस्था के सक्षम अभियंता द्वारा किया जायेगा।

8.6 पंचायती राज संस्थाओं एवं कार्यकारी विभागों के पास कार्य के मापन, मूल्यांकन एवं टास्क निर्धारण के लिए विभागीय अभियंताओं की कमी की स्थिति में पंजीकृत बेरोजगार सिविल अभियंताओं से दैनिक/मासिक निर्धारित दरों पर तकमीने में लिए गये प्रावधान अनुसार समस्त तकनीकी कार्य कराया जा सकेगा।

8.7 कार्यकारी संस्था श्रम एवं सामग्री पर किये जाने वाले भुगतान हेतु मस्टररोल, बिल बाऊचर आदि निर्धारित रागयावधि में कार्यक्रम अधिकारी को एमआईएस में इन्द्राज करने के लिए उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

8.8 कार्यकारी संस्था की अभिशंषा एवं एमआईएस के आधार पर श्रम व सामग्री का भुगतान सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। संयुक्त सचिव (MGNREGA), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक J-11011/3/2007-RE-I दिनांक 12.09.2014 के द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जारी विभागीय निर्देश दिनांक 20.10.2014 के तहत कार्यक्रम अधिकारी (लाईन विभाग) स्वयं भी ई–मस्टररोल जनरेट कर सम्बन्धित लाईन विभाग द्वारा कराये जा रहे महात्मा गांधी नरेगा कार्यों पर श्रमिकों का नियोजन कर, मस्टररोल व माप पुस्तिका में मेट/विभागीय अभियंताओं से आवश्यक मापों का इन्द्राज करवाकर सभी प्रकार (श्रमिक एवं सामग्री) का भुगतान ऑन लाईन पे ऑर्डर सिस्टम

(Fund Transfer Order-FTO) के द्वारा कर सकेगा। इस सम्बन्ध में कार्यक्रम अधिकारी (लाईन विभाग) समस्त प्रविष्टियाँ नरेगा सॉफ्ट में भी दर्ज करने तथा कार्य का सम्पादन महात्मा गांधी नरेगा के सभी दिशा–निर्देशानुसार करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस क्रम में एन.आई.सी. द्वारा कार्यक्रम अधिकारी (लाईन विभाग) को डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स (DSCs) एवं नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टियों के आवश्यक लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

8.9 कन्वर्जेन्स कार्यों के समयबद्ध निष्पादन की समीक्षा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस की अध्यक्षता में गठित जिला समन्वय समिति एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति द्वारा की जावेगी।

9 लाईन विभागों को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में देय कन्टींजेन्सीः–

9.1 इस सन्दर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी संयुक्त आदेश दिनांक 16.02.2010 एवं आदेश दिनांक 31.08.2010 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान की तकनीकी मार्गदर्शिका, 2010 में भी बिन्दु संख्या 6.3.3 (1) में भी उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी कार्यकारी संस्था द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के तकमीनों में अधिकतम 2 प्रतिशत कन्टींजेन्सी अथवा वास्तविक व्यय में से, जो भी कम हो, वह इस मद में देय होगा। नवीनतम विभागीय निर्देश दिनांक 31.08.2010 के अनुसार 2 प्रतिशत कन्टींजेन्सी व्यय सामग्री मद से निम्न शर्तों की पूर्ति के उपरान्त किया जायेगाः–

9.1.1 कन्टींजेन्सी व्यय तकमीने का भाग होगा।

9.1.2 कन्टींजेन्सी पर किया जाने वाला व्यय/क्रय वित्तीय नियमों की नियमानुसार पालना करते हुए किया जावे।

9.1.3 लाईन विभागों द्वारा कन्टींजेन्सी पर व्यय राशि के बिलों का पृथक से रजिस्टर संधारित करना होगा। इसमें कार्यवार व्यय बिलों का विवरण होगा। उक्त रजिस्टर निरीक्षण पर जाने वाले विभागीय अधिकारियों तथा ऑडिट के मांगने पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

9.1.4 कन्टींजेन्सी पर व्यय राशि के बिलों का भुगतान करने के तत्काल बाद एम.आई.एस. पर फीडिंग कराने का दायित्व लाईन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

9.2 तकमीने में ली जाने वाली कन्टींजेन्सी में निम्न कार्य अनुमत हैः–

9.2.1 Survey, design, drawings and estimate preparation.

9.2.2 Preparation of tender documents and NIT publication charges.

9.2.3 Hire charges of vehicle and POL for inspection of works.

9.2.4 Photography, videography and documentation.

9.2.5 Consumable items related to Quality Control and Plantation maintenance.

9.2.6 Any small item left out from estimate due to unforeseen circumstances, any additional item that is required to ensure proper use of approved/executed work.

9.2.7 Quality control of works.

9.3 Technical staff like STA/JTA may be provided from the pool to be maintained at the DPC/PO level as per requirements of the field officers of the Public Works Department exclusively for NREGS works of the department. Hence it should not include in contingency items. For providing contractual technical staff action as per RD&PR department letter dated 13.10.2010 may be taken.

9.4 MoRD GoI has issued detailed guidelines on dated 21.08.2014 that with effective from 1.10.2014 the provision for payment of technical assistants/barefoot engineers will be made from the skilled wage (material) component of the work fulfilling these conditions:-

9.4.1 All positions of Technical Assistants/ barefoot engineers @ one for every 2,500 active job cards shall necessarily be filled by the State Governments.

9.4.2 For this purpose, suitable provision shall be made in every work estimate and the amount shall be credited in the account from which remuneration for these functionaries is paid.

10 महात्मा गांधी नरेगा के तहत लाईन विभागों विशेषतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये हैं, जिनमें से दि0 06.04.2009, 24.12.2009, 16.02.2010, 23.04.2010, 31.08.2010, 13.10.2010, 14.09.2011, 24.01.2012, 22.02.2012, 24.04.2012, 04,05.2012, 16.07.2012, 13.11.2013, 19.11.2013, 21.11.2013 उल्लेखनीय हैं। सभी परिपत्र महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान की वैबसाईट nrega.raj.nic.in एवं rdprd.gov.in पर सम्बन्धित लिंक सर्कुलर नाम से नियमित रूप से अपलोड किये जाते हैं एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन इस वैबसाईट पर उपलब्ध है। भारत सरकार से मुज्जफरपुर मॉडल के पैटर्न पर सड़क किनारे वृक्षारोपण के सम्बन्ध में दिनांक 10.09.2012 को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। अतः सभी सम्बन्धितों द्वारा इन वैबसाईट एवं भारत सरकार की वैबसाईट nrega.nic.in का नियमित रूप से अवलोकन किया जाना चाहिये।

11 उक्त कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों के साथ कन्वर्जेन्स की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त परिपत्र पर त्वरित तथा प्राथमिकता से पालन सुनिश्चित किया जावे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डी.बी. गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव,
सार्व. निर्माण विभाग

(श्रीमत् पाण्डेय)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रावि एवं परावि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, परावि।
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
7. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त राजस्थान।
8. मुख्य अभियंता, सार्व. निर्माण विभाग (एस.एस.)।
9. मुख्य अभियंता, सार्व. निर्माण विभाग (पी.एम.जी.एस.वाई.)।
10. मुख्य अभियंता, सार्व. निर्माण विभाग (सड़क)।
11. मुख्य अभियंता, सार्व. निर्माण विभाग (एन.एच.)।
12. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. समस्त राजस्थान।
13. अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता, सार्व. निर्माण विभाग, समस्त जिला।
14. अधीक्षण अभियंता, ईजीए एवं प्रभारी श्री योजना।
15. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त राजस्थान।
16. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
17. श्री रिंकू एमआईएस मैनेजर को ई–मेल करने एवं सर्कुलर में अपलोड करने बाबत।

परि0 निदे0 एंव पदेन उप सचिव, ईजीएस

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची–1 (संशोधित दि. 03.01.2014) के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा सकने वाले कार्य

1. ग्रामीण अवसंरचना **(Rural Infrastructure)** -
   i. **असम्बद्ध ग्रामों को जोड़ने के लिए** सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध कराना; (Providing all - weather rural road connectivity to unconnected villages) :–
      - पीएमजीएसवाई योजना में वर्ष 2016–17 व आगामी वर्षो में स्वीकृत होकर असम्बद्ध ग्रामों/ढाणियों को जोडने वाली डामर सडको के लिये प्रथम चरण में ग्रेवल सडको का पीएमजीएसवाई के मानदण्डों के अनुसार निर्माण कार्य।
      - राज्य प्लान मद में स्वीकृत होने वाली अन्य डामर सडकों के लिये प्रथम चरण में विभागीय मानदण्डानुसार ग्रेवल सडक का निर्माण कार्य।

   ii. **विद्यमान पक्का सड़क नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों को जोड़ने** के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध कराना; (Providing all - weather rural road connectivity to connect identified rural production centres to the existing pucca road network) :–
      - विद्यमान पीएमजीएसवाई या अन्य डामर सडक से ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों को जोडने के लिए प्रथम चरण में विभागीय मानदण्डानुसार ग्रेवल सडक का निर्माण कार्य।

   iii. **ग्राम में पक्की आन्तरिक सड़कें या गलियों**, जिनके अन्तर्गत पार्श्विक नालियाँ और पुलियाँ भी हैं, का संनिर्माण;(Construction of pucca internal roads or streets including side drains and culverts within a village;)
2. सडक किनारे वृक्षारोपण का कार्य।
3. **खेल के मैदानों** का संनिर्माण;(Construction of **play fields**)
4. **आपदा तैयारी में सुधार करना** या **सड़कों का जीर्णोद्धार** या अन्य **आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म भी हैं, का जीर्णोद्धार,** जलमग्न क्षेत्रों में, अपवहन, उपलब्ध कराने, **बाढ़ जलमार्गों की मरम्मत करने,** चॉयर जीर्णोद्धार सम्बन्धी संकर्म; (**Works for improving disaster preparedness** or **restoration of roads or restoration of other essential public infrastructure including flood control and protection works, providing drainage in water logged areas, deepening and repairing of flood channels, chaur renovation**)
5. ग्राम पंचायतों के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों, परिसंघों, **चक्रवात आश्रय, आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्रामीण हाटों और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर शवदाह गृह के लिए भवनों का संनिर्माण;** (Construction of buildings for **gram Panchayats,women self help groups, federations,cyclone shelters, Anganwadi centres, village haats and creamatoria** at the village or block level)
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिम, 2013 (2013 का 20) के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए **खाद्यान्न भण्डारण संरचनाओं का संनिर्माण; (Construction of Food grain Storage structures** for implementing the provisions of the National Food Security Act 2013 (20 of 2013)
7. विद्यमान पीएमजीएसवाई डामर सडकों (ODR and VR) के पाँच वर्षीय डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड (Defect Liability Period) के पश्चात् शोल्डर एवं बर्म्स रिपेंयर कार्य।
8. वर्षा ऋतु से पूर्व विद्यमान डामर सडकों (SH, MDR, ODR and VR) के स्लेब कलवर्ट/पुलिया व पाईप कलवर्ट की सफाई का कार्य।
9. विद्यमान डामर सडकों (SH, MDR, ODR and VR) के पास स्थित हैड पम्प, बोंरिंग, वाटर टैंक आदि के ड्रेनेज के लिये तथा पुलियों/कलवर्ट्स के आउटलेटस के नजदीक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रेक्चर/सोकेज वैल का निर्माण कार्य।
10. अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण लोकास्तियों का **रखरखाव; (Maintenance of rural public assets created under the act;)**
11. **कोई अन्य कार्य**, जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये; (**Any other work** which may be notified by the Central Government in consultation with the State Government in this regard).

====